

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं/38 2017-केन्द्रीय कर) दर(

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि.....)अ - . (केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017) 2017 का 12 (की धारा 11 की उप-धारा) 1 (द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, संख्या सा.का.नि .680)अ(, तारीख 28 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 8/2017-केन्द्रीय कर) दर(, तारीख 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 के अधीन परंतुक का लोप किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं 8/2017-केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

[फा .सं .349/74/2017-जीएसटी) पीटी(]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव भारत सरकार,

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा.का.नि .680)अ(, तारीख 28 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना संख्या 8 /2017-केन्द्रीय कर) दर(, तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।